

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि०,

आई.एस.ओ.९००१:२०१५ प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर-कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष / फ़ेक्स-०५१२-२०८८१०० / E-Mail-uppanknp2022@gmail.com)

पत्रांक: ९५ / नि०ई०का१० / (इ-टेण्डर) / २०२३-२४

दिनांक १७ / ०४ / २०२३

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद चित्रकूट के थाना रैपुरा में महिला हेतु स्थाई वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा दिनांक-17.04.2023 को समय 10:00 पूर्वाह्न से दिनांक-25.04.2023 अपराह्न 16:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि अगले दिन (26.04.2023) को पूर्वाह्न 11:30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद चित्रकूट के थाना रैपुरा में महिला हेतु स्थाई वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य	5.06 लाख	400/- (जी०एस०टी० 18% अतिरिक्त)=रु० 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

- निविदादाता की जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर-कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर-208004 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 16.00 बजे के मध्य दिनांक: 25.04.2023 तक रु० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) कुल रु० 472/-का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग-अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 25.04.2023 को समय 16.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ०डी०आर० राष्ट्रीयकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक क्रमांश:.....2

- की फिक्स डिपॉजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट अधिशासी अभियन्ता/इकाई प्रभारी, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।
7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रु० एवं 10 रु० का स्टाम्प पेपर I- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
 8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
 9. आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
 10. जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
 11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
 12. निविदा की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की अनुमानित मात्राएं हैं जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यों का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।
 13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
 14. समस्त कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्वार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेंगे।
 15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिंग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित हैं।
 17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।
 18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जॉब में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।
 19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
 21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
 22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
 23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 25% भुगतान किया जायेगा एवं अवशेष 15% की धनराशि का भुगतान टेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग का इस्तमाल कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।
25. टेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/सदन इस्तमाल होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्क्योरिटी की धनराशि सिक्क्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।
26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।
27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(वीरेंद्र कुमार सिन्हा)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

(वीरेंद्र कुमार सिन्हा)
इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि०,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैण्ट परिसर-कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दूरभाष/फैक्स-0512-2988100 / E-Mail-uppankn2022@gmail.com)

पत्रांक: 96 / नि०ई०का० / (इ-टेण्डर) / 2023-24

दिनांक 17 / 04 / 2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ी में महिला हेतु स्थाई वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा दिनांक-17.04.2023 को समय 10:00 पूर्वाह्न से दिनांक-25.04.2023 अपराह्न 16:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि अगले दिन (26.04.2023) को पूर्वाह्न 11:30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ी में महिला हेतु स्थाई वाशरूम/ट्वायलेट का निर्माण कार्य	4.99 लाख	400/- (जी०एस०टी० 18% अतिरिक्त)=रु० 472 निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

- निविदादाता की जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में टेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०- 40520100005201 / IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय थाना कैण्ट परिसर-कैण्ट, निर्माण इकाई, कानपुर-208004 में कार्यालय कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 16.00 बजे के मध्य दिनांक: 25.04.2023 तक रु० 400/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) कुल रु० 472/-का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग-अलग मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 25.04.2023 को समय 16.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी हैं। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले टेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ०डी०आर० राष्ट्रीयकृत बैंक से, के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक क्रमांश:.....2

की फिक्स डिपोजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशारी अभियन्ता/इकाई प्रभावी, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-कानपुर के नाम से बन्धक होगा चाहिए।

7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० एवं 10 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
9. आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
12. निविदा की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की अनुमानित मात्राएँ हैं जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यों का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. समस्त कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेंगे।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिंग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित हैं।
17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।
18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।
19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवशेष 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।
25. ठेकेदार के द्वारा एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।
26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।
27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(बीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

Revised
17/04/2021
इकाई प्रभारी

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि०,

आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित / CIN-U 45201 UP 1987 SGC 008642

थाना कैंपट परिसर-कैंपट, निर्माण इकाई, कानपुर।

(दस्तावेज/केस-0512-2988100/E-Mail-uptp@nphkn2022@gmail.com)

पत्रांक: 97 /नि०ई०का10 / (इ-टैपडर) / 2023-24

अल्पकालीन निविदा सूचना

दिनांक 17 / 04 / 2023

अयोधेस्तरक्षारी द्वारा जनपद चित्रकूट के थाना मारकुंडी में महिला हेतु स्थाई वाशरूम /टवायलट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा दिनांक-17.04.2023 को समय 10:00 पूर्वाह्न से दिनांक-25.04.2023 अपराह्न 16:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि अगले दिन (26.04.2023) को पूर्वाह्न 11:30 बजे अयोधेस्तरक्षारी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फर्म का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	जनपद चित्रकूट के थाना मारकुंडी में महिला हेतु स्थाई वाशरूम /टवायलट का निर्माण कार्य	5.03 लाख	400/- (जी०एस०टी० 18% अतिरिक्त)-रू० 472 निविदा फर्म के साथ आगमन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	अनुबन्ध की तिथि से 03 माह

- निविदादाता की जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में टेंकेंदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, वरिष्ठ प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की स्वस्वस्थापित छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खालत सू०-40520100005201 /IFSC CODE- BARB0HARJIN बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- हरजिन्दर नगर, कानपुर में केवल RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी स्वीकार की जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 03 दिन उपरान्त किसी भी कार्यदिवस में इकाई कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है।
- निविदा फर्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय थाना कैंपट परिसर-कैंपट, निर्माण इकाई, कानपुर-208004 में कार्यालय कार्य दिवस में **समय 10.00 बजे से 16.00 बजे** के मध्य दिनांक: **25.04.2023** तक रू० 400 /- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) कुल रू० 472 /-का भुगतान कर निविदा फर्म प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा फाइनेन्शियल एवं टेक्निकल अलग-अलग मुरद बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अयोधेस्तरक्षारी के कार्यालय में दिनांक: **25.04.2023** को **समय 16.00 बजे** तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अपनी दर स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा को बिना कारण बताये रिस्त कर दिया जायेगा।
- निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम निविदा डालने वाले टेंकेंदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एक०डी०आर० राष्ट्रीय बैंक से के रूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निधारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बतनाये निविदा रिस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीय बैंक क्रमांक:..... 2

- की फिक्स डिपोजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपोजिट अधिशासी अगियन्ता/इकाई प्रभायी, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-कानपुर के नाम से बन्धक होना चाहिए।
7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध की निर्धारित अवधि 10 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रू० एवं 10 रू० का स्टाम्प पेपर L- 1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
 8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
 9. आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
 10. जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
 11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी एवं अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
 12. निविदा की बी०ओ०व्यू० में अंकित कार्यों की अनुमानित मात्राएँ हैं जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किये गये कार्यों का भुगतान वास्तविक मापों के अनुसार किया जायेगा।
 13. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध गठन के पश्चात दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
 14. समस्त कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार सम्पादित कराये जायेंगे।
 15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 16. निविदा दरों में ही स्कैफोल्डिंग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित हैं।
 17. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) अथवा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० लखनऊ का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगी।
 18. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा जिससे वसूली उससे की जायेगी।
 19. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 20. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।
 21. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
 22. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में Debitable Agency से कार्य कराया जायेगा जिसपर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
 23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

24. निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85% भुगतान किया जायेगा एवं अवशेष 15% की धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य पुलिस विभाग को हस्तगत कराने के उपरान्त एक सप्ताह पश्चात किया जायेगा।
25. ठेकेदार के द्वारा एफडीडीआर के रूप में जमा की गयी 5% की जमानत धनराशि कार्य/भवन हस्तगत होने के पश्चात (FDR) अवमुक्त की जायेगी एवं भुगतान के सापेक्ष बीजकों से काटी गयी 5% सिक्योरिटी की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।
26. निविदा प्राप्त होने पर कार्य कराये जाने हेतु उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० द्वारा निर्धारित की गयी विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित ब्राण्ड की ही सामग्री एवं मैटेरियल कार्य में उपयोग किया जायेगा।
27. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कानपुर रहेगा।

(वीरेन्द्र कुमार तिवारी)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड हेतु।

Heeral
17/04/2023
इकाई प्रभारी